उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
संख्या बी-4-281/दस-98-6-1965
लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 1998

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों एवं अग्रिमों (स्वायत्तशासी निकायों को जल सम्पूर्ति योजना के लिये ऋण को छोड़कर) पर वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये अनन्तिम रूप से ब्याज की प्रभावी दरें निम्नलिखित होगीं :-

क्रम सं.	ऋण की किस्त	ऋण की अवधि	वार्षिक ब्याज की दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
1	2	3	4
1-	यू.पी.एफ.सी., पिकप, यू.पी.एस.आई.डी.सी.,यू.पी. एस.आई.सी. आदि जैसी संस्थाओं, जो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का कार्य करती है, को ऋण।	दस वर्ष की अवधि तक	14.50
2- (क)	सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों मे मध्यम एवं वृहत स्तरीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को, कार्यशील पूँजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट के लिये ऋण।	दस वर्ष की अवधि तक	18.50
(ख)	"क" में वर्णित संस्थाओं को कार्यशील पूँजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट से भिन्न ऋण।	दस वर्ष की अवधि तक	16.00
3- (क)	सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों मे लघु स्तरीय औद्योगिक एवं वाणिज्यक संस्थाओं को कार्यशील पूँजी,अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट के लिये ऋण।	दस वर्ष की अवधि तक	18.50
(ख)	"क" में वर्णित संस्थाओं को कार्यशील पूँजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट से भिन्न ऋण।	दस वर्ष की अवधि की अवधि तक	14.50
4-	लघुत्तर उद्योगों के लिये ऋण।	चार वर्ष की अवधि तक चार वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से अधिक नहीं	11.00 11.50
5-	उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद तथा यू. पी. एस. आर. टी. सी. को ऋण।	दस वर्ष की अवधि तक (उ.प्र. राज्य विद्युत के ऋणों हेतु अवधि अभी तय नहीं।	14.50
6-	अन्य ऋण	दस वर्ष की अवधि तक	14.50

क.पृ.उ.

स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-225 में दिये गये निर्देशो के अनुसार की जायेगी।

3- जल सम्पूर्ति की योजना के लिये ऋणों पर ब्याज की दर निम्नवत् होगी :--

(क) विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऋणों पर ब्याज की दर इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसियेशन तथा राज्य सरकार द्वारा निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार की जायेगी।

(ख) अन्य क्षेत्रों के लिये ऋण पर ब्याज की दर जीवन बीमा निगम से जल-सम्पूर्ति योजना के लिये प्राप्त होने वाले ऋणों के लिये प्रचलित ब्याज की दर के समतुल्य होगी।

4- ब्याज की उक्त दरें प्रभावी (इफेक्टिव) दरें हैं। स्वीकृति के आदेशों में ब्याज की दरें उपरोक्त प्रभावी दरों से 3.5 प्रतिशत (साढ़े तीन प्रतिशत) अधिक निर्धारित की जायेगी और उनमें इस आशय की शर्तें रहेंगी कि नियत समय पर ऋण/ब्याज का प्रतिदान/भुगतान करने की दशा में ब्याज की दर में 3.5 प्रतिशत (साढ़े तीन प्रतिशत) की छूट दी जायेगी अर्थात् प्रभावी दर (इफेक्टिव रेट) पर ही ब्याज लिया जायेगा। ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान न होने पर अथवा कोई कालातीत रहने पर ऋण की स्वीकृति के आदेश में निर्धारित दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध मे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितय (डिफाल्ट) होने पर स्वीकृत के आदेश में निर्धारित दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी। ब्याज की दण्डात्मक दर मूल राशि और/अथवा ब्याज की अतिदेय किश्तों पर उसकी अदायगी की निश्चित तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि तक लागू होगी।

5- तकाबी नियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों के आदेश पृथक रूप से राजस्व व कृषि विभाग द्वारा निर्गत किये जाते हैं तथा राज्य कार्मचारियों को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दरें अलग से निर्धारित की जाती हैं।

6- साधारणतया कोई भी ऋण दस वर्ष से अधिक की प्रतिदान अवधि का नहीं स्वीकृत किया जाएगा किन्तु ऐसे मामले जिनमें प्रतिदान की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो, शासन को सन्दर्भित किये जाँय। ऋण की प्रतिदान अवधि ऋण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाये और इस अवधि को कम से कम अवधि के लिये ही सीमित रखा जाये।

7- निर्धारित तिथि से पूर्व अदा की गई किसी भी किस्त को पूरी तरह मूल राशि के लिये ही समझा जायेगा बशर्ते उसके साथ अद्यतन तिथि तक किस्त की वास्तविक अदायगी के लिये देय ब्याज भी हो। अगर ऐसा नहीं है तो किस्त की राशि पहले पूर्ववर्ती और चालू अवधि के लिये देय ब्याज के साथ समायोजित की जायेगी और अगर कोई शेष राशि हो तो उसे मूल राशि के साथ प्रयुक्त किया जायेगा। जहाँ किस्त अदायगी निश्चित तिथि से 14 अथवा उससे कम दिन पहले की गयी हो ब्याज पूरी अवधि के लिये देय होगा।

8- यदि किसी योजना पर ब्याज की दर जो अन्तिम नहीं है, अनुच्छेद 1 व 4 में दी गई ब्याज की दरों से अधिक है तो ऐसी स्थिति में अधिक ब्याज की दर लागू रहेगी।

9- यदि ऋण की अवधि में संशोधन करके अवधि बढ़ाई जाती है तो ब्याज की दर लम्बी अवधि से समतुल्य होगी मानों ऋण बढ़ी हुयी अवधि के लिये स्वीकृत किया गया था। ऐसे मामलो में जब ऋण की वापसी-अदायगी शुरू हो चुकी हो तो ऋण की अवधि में विस्तार किये जाने की तारीख तक ऋण के बचे भाग पर ब्याज की संशोधित दर लागू होगी।

10- उन मामलो में जहां ऋणो को रियायती दर पर अथवा ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया जाता है, वापसी-अदायगी में कोई चूक होने अथवा ऋण का उपयोग भिन्न प्रयोजन के लिये किये जाने की स्थिति में ऋणों पर सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित सामान्य दरों पर ब्याज प्रभावी होगा।

क.पृ.उ.

11- यदि किसी मामले में इस कारण ब्याज रियायती दर पर लिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले साधारण ब्याज की दर के अन्तर के बराबर भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तो ऐसे समस्त मामले तुरन्त वित्त विभाग को ब्याज दर निर्धारित करने के लिये भेज दिये जाने चाहिये तथा साथ में भारत सरकार के नवीनतम लिखित आदेश की एक प्रति भी भेजी जानी चाहिये जिसमें उन्होनें ब्याज की दर को सहायतित् करने की सहमति प्रदान की हो।

12- जिन मामलों में राज्य सरकार भारत सरकार के प्राप्त धनराशि का ऋण उनके एजेण्ट के रूप में स्वीकृत करती है और उसमें भारत सरकार की यह शर्त होती है कि अन्तिम ऋण ग्रहीता को एक निर्धारित ब्याज की दर पर ही ऋण दिया जायेगा तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ही लागू रहेगी। इसी प्रकार जहाँ राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं (जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा खादी ग्रामद्योग आयोग आदि) से प्राप्त धनराशि से ऋण दिया गया हो तो ब्याज की दर वही होगी जो उस संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये निर्धारित की गयी हो, यदि यह शर्त राज्य सरकार ने मान ली हो।

13- राजकीय उपक्रमों/निगमों तथा अन्य राजकीय स्वायत्तशासी संस्थायें कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताओं के पूर्ति अपनी वर्तमान सम्पत्ति (जैसे सामग्री भण्डार, कच्चा माल, तैयार माल, प्रगति पर चल रहे कार्यों आदि) को बन्धक रख कर भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर सकते हैं। अतः सरकारी उपक्रमों आदि को सामान्यतः कार्यशील पूँजी के लिये ऋण स्वीकृत करने संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। लेकिन यदि विशेष परिस्थितियों में कार्यशील पूँजी हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है तो इस ऋण की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्योपाय अग्रिमों की वसूली एक वर्ष के अन्दर की जायेगी।

14- राजकीय निगमों/उपक्रमों के लिये दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में कार्यालय-ज्ञाप सं.बी-4--3773/ दस-6-65 दिनांक 15 फरवरी, 1973 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(के. सी. मिश्र)
संयुक्त सचिव।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

संख्या-बी-4-281(1)/दस-98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं मुख्यालयों के अध्यक्ष।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(के. सी. मिश्र)
संयुक्त सचिव।